<u>पंचायती राज मंत्रालय</u>

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की <u>जनवरी, 2019</u> माहकी प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सारांश

1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को अप्रैल, 2018 में शुरू किया गया था और अब परियोजना आधारित समर्थन के लिए प्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए योजना के घटकों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। आरजीएसए के तहत पंचायतों के माध्यम से आय में वृद्धि एवं आर्थिक विकास पर आधारित परियोजना के घटक के बारे में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडी एंड पीआर), हैदराबाद के समन्वयन में 28-29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय स्तर की परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संबंधित विषयों के विशेषज्ञों, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों, कृषि, एमएसएमई आदि के प्रतिनिधियों, चुने गए सरपंचों और 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला ने संविधान के अनुच्छेद 243 छ की भावना के अनुरूप प्रस्तावों केा तैयार करने से संबंधित सभी पहलुओं को क्रिस्टलीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए मंच प्रदान किया।

2. केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के विचारार्थ विषय पर उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए (i) "ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता" और (ii) "आरजीएसए के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से नवाचारों के लिए सहायता" पर व्याख्यात्मक नोट तैयार किया गया। बेंगलुरु में दो दिनों के राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में इन व्याख्यात्मक नोटों पर भी चर्चा की गई और प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर इन्हें अंतिम रूप दिया गया।

3. पंचायतों के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) के लिए विषयों (i) बुनियादी उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम) (ii) ईआर के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, (iii) एसएचजी और पीआरआई का अभिसरण, (iv) एसएचजी और पीआरआई का संयुक्त प्रशिक्षण और (v) पंचायतों की नव निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) का क्षमता निर्माण के लिए एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा तैयार किये गये मॉड्यूल को भी बेंगलुरु में दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसे एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है और सभी राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों/पंचायत प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा।

4. आरजीएसए के सीईसी द्वारा अनुमोदित किए गए सभी राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) के संकाय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में जल संसाधन

और कृषि विकास के एकीकरण पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), हैदराबाद को पहली किस्त के रूप में 14.75 लाख रुपए जारी किए गए।

5. संयुक्त राष्ट्र महिला और एनआईआरडी एंड पीआर के सहयोग से पीआरआई के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 18-19 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में संपन्न किया गया। माननीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में ईडब्ल्यूआर, पीआरआई के क्षमता निर्माण और जेंडर रिस्पॉन्सिब गवर्नेंस के मुद्दों पर एमओपीआर, संयुक्त राष्ट्र महिला और एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा की गई प्रभावी पहल पर चर्चा की गई। प्रमुख सत्र अपने आर्थिक विकास और एसएचजी-पीआरआई अभिसरण के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए जेंडर विश्लेषण और मेनस्ट्रीमिंग, जेंडर बजटन, ईडब्ल्यूआर का क्षमता निर्माण और आजीविका सृजन पर केंद्रित रहा। जीपीडीपी के संशोधित दिशानिर्देशों को पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ईडब्ल्यूआर के दो दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान जारी किया ।

6. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों के लिए उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, एमओपीआर सख्ती से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों का अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में, वर्ष 2017-18 के लिए प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने, वर्ष 2017-18 के दौरान जीपी/विक्रेता पंजीकरण के लिए राज्यों का अनुसरण करने के लिए मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए, 93% ग्राम पंचायतों ने अपनी खाता बही बंद कर दी है और 2,27,074 ग्राम पंचायतों पीएफएमएस पर पंजीकृत किए गए हैं जबकि शेष ग्राम पंचायतों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। लगभग 93,188 जीपी ने पहले ही डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) खरीद लिए हैं।
7. ग्राम पंचायत एटलस/मानचित्र के विकास की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एनआईसी अधिकारियों के साथ तत्कालीन विशेष सचिव, एमओपीआर की अध्यक्षता में स्थिति समीक्षा के लिए एक बैठक 04 जनवरी, 2019 को आयोजित की गई थी।

8. जीपीडीपी की तैयारी एवं आयोजना पर मंत्रालय के अनुमोदन के साथ, राज्यों को उनके अनुरोध पर प्लानप्लस और जीपीडीपी पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 जनवरी, 2019 को मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था।

9. पंचायत पुरस्कार 2019 (मूल्यांकन वर्ष 2017-18) के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन योजना के तहत, दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी), नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी) और जीपीडीपी पुरस्कारों के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए थे।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पंचायतों के संबंध में एमओपीआर को ऑनलाइन सिफारिशें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी, 2019 थी और इस तिथि तक चौबीस राज्यों से सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं। पंचायत पुरस्कार दिशानिर्देशों के अनुसार, डीडीयूपीएसपी और एनडीआरजीजीएसपी के तहत सिफारिशों को स्थलीय सत्यापन (फील्ड वेरिफिकेशन) के लिए राष्ट्रीय स्तर के सूचीबद्ध स्थल सत्यापन एजेंसियों को सौंपा गया है।

10. इस महीने के दौरान, एफएफसी के अंतर्गत एमओपीआर ने वर्ष 2016-17 के लिए असम को 404.88 करोड़ रुपये के मूल अनुदान की दूसरी किस्त और महाराष्ट्र के लिए वर्ष 2018-19 हेतु मूल अनुदान की दूसरी किस्त 1502.185 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश वित्त मंत्रालय (एमओएफ) से की है।

11. महीने के दौरान, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने वर्ष 2016-17 के लिए जम्मू एवं कश्मीर को मूल अनुदान की पहली किस्त 203.31 करोड़ रुपए और बिहार को मूल अनुदान की दूसरी किस्त 2099.855 करोड़ रुपए, हरियाणा को 387.995 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 920.7696 करोड़ रुपए, मध्यप्रदेश को 1354.39 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 3574.37 करोड़ रुपए और वर्ष 2018-19 के लिए पश्चिम बंगाल को 1370.3437 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
12. वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत मूल अनुदान की कुल आवंटन 29,942.87 करोड़ रुपए की तुलना में कुल निर्मुक्ति 28,804.26 करोड़ रुपए की गई। वर्ष 2017-18 के दौरान 34,596.26 करोड़ रुपए आवंटन की तुलना में 32,157 करोड़ रुपए और वर्ष 2018-19 के दौरान 40,021.63 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में 29,934.96 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए । वर्ष 2016-17 के लिए. 39,27.65 करोड़ रुपए के निष्पादन अनुदान के आवंटन की तुलना में 34,99.45 करोड़ रुपए और वर्ष 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में 1106.90 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए।

Ministry panchayati Raj
Summary on Major achievements, significant developments and Important events of MoPR for the month of January, 2019

1. Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) was rolled out in April 2018 and now the components of the scheme are being deliberated upon for finalizing the mechanism for project based support. A National Level Consultative Workshop was organised at Bengaluru on 28th – 29th January, 2019 in coordination with National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD & PR), Hyderabad for consultation with States/UTs regarding the component of project based support for economic development and income enhancement through Panchayats under RGSA. The Workshop was attended by experts of related subjects, representatives of Ministries of Rural Development, Tribal Affairs, Agriculture, MSME etc., selected Sarpanches and representatives of 31 States/ UTs. The workshop provided the platform for crystallising and concretising all aspects related to the formulation of proposals in consonance with the spirit of Article 243G of the Constitution.

2. Explanatory Notes on (i) "Project based Support for Economic Development and Income Enhancement through Panchayats in Rural Areas" and (ii) "Support for Innovations through Panchayats in Rural Areas" under RGSA have been developed for sensitizing the States/UTs for submission of appropriate proposals on the subject for consideration of Central Empowered Committee (CEC). These Explanatory Notes were also discussed in the two days National Consultation Workshop at Bengaluru and based on the feedback received, the same have been finalized.
3. The capacity building and training modules on the subjects (i) Basic Orientation Course for newly Elected Representatives (ERs) of Panchayats, (ii) Refresher Course ERs, (iii) Self-Help Group (SHG)-PRI Convergence, (iv) Joint Trainings of SHGs and PRIs, and (v) Module for Capacity building of newly Elected Women Representatives (EWRs) of Panchayats, as formulated by NIRD & PR, were also presented in the two days National Consultation Workshop at Bengaluru. Based on the feedback received, the same are being finalised by NIRD & PR and will be shared with State Institutes of Rural Development/Panchayat Training Institutes of all States.

4. First instalment of fund to the tune of Rs. 14.75 lakh has been released to National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad for conducting orientation programme on Integration of Water Resources and Agriculture Development in Gram Panchayat Development Plan (GPDP) for faculty of all State Institutes of Rural Development (SIRDs) which had been approved by the CEC of RGSA.

5. Two Days National Conclave of EWRs of PRIs in association with UN Women & NIRD&PR was held on 18th - 19th January, 2019 at New Delhi. The Hon'ble Minister of Panchayati Raj, Shri Narendra Singh Tomar, inaugurated the Conclave. The Conclave deliberated effective capacity building initiatives of MoPR, UN Women and NIRD & PR for EWRs, PRIs and issues of gender responsive governance. The key sessions focussed on Gender Analysis and Mainstreaming, Gender Budgeting, Capacity building of EWRs and Livelihood generation for rural women for their economic development and SHG-PRI Convergence. The revised Guidelines of GPDP were released by the Hon'ble

Minister of Panchayati Raj, Shri Narendra Singh Tomar, during the inaugural function of the two days National Conclave of EWRs.

6. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been conducting video conferences; pursuing the States for closure of account on PRIASoft for 2017-18, GP/vendor registration. For the year 2017-18, 93% of the GPs have closed their account books and 2, 27,074 GPs have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of the same. Around 93,188 GPs have already procured Digital Signature Certificates.

7. A status review meeting under the chairmanship of the then Special Secretary, MopR, was held on January 04, 2019 with NIC Officials to review the status of development of Gram Panchayat Atlas.

8. With the Ministry's accent on planning and preparation of GPDP, trainings on PlanPlus and GPDP are being provided to the States as per their request. Training was held in Madhya Pradesh on January 8, 2019.

9. Under the Incentivization of Panchayats scheme for Panchayat Awards 2019 (Appraisal Year 2017-18), online nominations under Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar (DDUPSP), Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar (NDRGGSP) and GPDP Award have been invited from State Governments/Union Territory Administrations. The last date for submission of online recommendations in respect of Panchayats by the States/UTs to MoPR was 18th January, 2019 and recommendations have been received from twenty four States by this date. As per the Panchayat Awards Guidelines, recommendations under DDUPSP and NDRGGSP have been shortlisted and assigned to the National Level Field Verification Agencies for field verification.

10. During the month, MoPR has recommended to Ministry of Finance (MoF) for release of 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 404.88 crore to Assam for 2016-17 and 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 1502.185 crore to Maharashtra for 2018-19 under Fourteenth Finance Commission(FFC).

11. During the month, MoF released 1st instalment of Basic Grant of Rs. 203.81 crore to Jammu & Kashmir for 2016-17 and 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 2099.855 crore to Bihar, Rs. 387.995 crore to Haryana, Rs. 920.7696 crore to Karnataka, Rs. 1354.39 crore to Madhya Pradesh, Rs. 3574.37 crore to Uttar Pradesh and Rs. 1370.3437 crore to West Bengal for 2018-19.

12. The total release of Basic grant under FFC for the year 2016-17 was Rs. 28,804.26 crore against the allocation of Rs. 29,942.87 crore. During 2017-18 it is Rs. 32,157 crore against the allocation of Rs. 34,596.26 crore and it is Rs.29, 934.96 crore against the allocation of Rs.40,021.63 crore for the year 2018-19. Release of Performance Grant is Rs. 34,99.45 crore against the allocation of Rs. 39,27.65 crore for 2016-17 and Rs. 1106.90 crore against allocation of Rs. 4444.71 crore for the year 2017-18.

****